IN THE COURTOFSUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

P.S-107/2015

SUDHIR THAKUR .....PLAINTIFF

Vs.

RAMSEVAK THAKUR & OTHERS.....DEFENDANTS

ORDER

25.11.20 पुकार पर उभय पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं0– 4 ता 8 के आवेदन दिनांक–2.09.20 पर आदेश हेतु अभिलेख प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी प्रतिवादीगण का कथन है कि पक्षकार के पूर्वजों के बीच पूर्व में ही कुल जायदाद का बंटवारा हो चूका है। प्रार्थी का आवासीय मकान जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है , जिसे मरम्मत करवाना है, बैंक से लिए गए कर्ज का भुगतान करना है एवं चिकित्सा हेतु भी पैसे की आवश्यकता है। अतः वाद–मत्र के मद संख्या 1 एवं 2 में अंकित भूमि के अल्प अंश की विक्रय करने की अनुमति देने की कृपा की जाए। वादी की ओर से अपने प्रत्युत्तर दिनांक–30.09.20 के द्वारा उक्त आवेदन का विरोध किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद परिशिष्ट–1 में अंकित भूमि पर बंटवारा हेतु लाया गया है। वादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में प्रतिवादी के द्वारा बार–बार भूमि विक्रय किए जाने की बात कही गई है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश दिनांक–9.10.17 के द्वारा विवादीत भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने हेतु आदेश पारित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में वाद लम्बन के दौरान विवादीत भूमि का विक्रय किए जाने की अनुमति देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रतिवादी का आवेदन दिनांक–02.09.20 खारिज किया जाता है। उभयपक्ष वाद के यथाशीघ्र निष्पादन में सहयोग करें।

दिनांक– 16.12.20 वास्ते अग्रतर कार्रवाई।

अपर न्यायाधीश